न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गौविन्दगढ जिला–अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 03 / 04 / 2024
तारीख दायरा 14.02.2024

उनवान

1. श्रुति मामोडिया पुत्री स्व0 सुधान्सु मामोडिया जाति महाजन निवासी गौविन्दगढ जिला अलवर।

............प्रार्थीया।

बनाम

1. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील गौविन्दगढ जिला अलवर।

..........अप्रार्थी।

(दावा अर्न्तगत धारा 136 एलआरएक्ट)

उपस्थिति :– श्री मुरारी लाल यादव, एडवोकेट.......................................प्रार्थीया की ओर से।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांकः 21.6.24

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रुति मामोडिया पत्री स्व0 श्री सुधान्शु खण्डेलवाल निवासी गोविन्दगढ हाल वासी गोकुल जिला मथुरा उ0प्र0 ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0नं0 1059,1060,1885 / 1058,1886 / 1058 वाके ग्राम रामबास तह0 गोविन्दगढ में प्रार्थिया का नाम अनुस्का पुत्री सुधान्सु दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत दर्ज हो रखा है। जबकी प्रार्थिया का नाम मार्कशीट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजो में श्रुति मामोडिया अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम रामबास की उक्त आराजी में अपना नाम अनुस्का के स्थान पर श्रुति मामोडिया दर्ज कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (भूमिधारी) गोविन्दगढ से रिर्पोट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया श्रुति मामोडिया पुत्री सुधांसु खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी रामबास का वास्तविक नाम श्रुति मामोडिया है जबकी राजस्व रिकॉर्ड में नाम नाबालिग अनुष्का पुत्री सुधांसु संरक्षक माता सरपरस्त खुद तनुजा दर्ज है। प्रार्थिया के द्वारा संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, कक्षा 10 वीं की अंकतालिका, जन्म प्रमाण पत्र एवं वाके ग्राम भैसडावत के एक खेत की रजिस्ट्री में प्रार्थिया का नाम श्रुति मामोडिया दर्ज है। तहसीलदार गोविन्दगढ ने प्रार्थिया का नाम श्रुति मामोडिया किए जाने की अभिशंषा की है।

हमने योग्य अधिवक्ता / प्रार्थीया को सुना तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड में नाम में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है। इस सबंध में हम धारा 136 एल.आर.एक्ट पर प्रकाश डालना उचित समझते है।

<u>136 Correction of errors :-</u> the land Records officer may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any Registar.

Provided that any error is noticed by a Revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

उपरोक्त प्रावधान के मद्देनजर हमारे द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने का भार प्रार्थीया पर है। प्रार्थीया द्वारा अपने कथनो के समर्थन में विवादित आराजी की जमाबन्दी सं0 2072–75 वाके ग्राम रामबास पेश की गई जिसमें प्रार्थीया का नाम अनुस्का दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकतालिका, नामान्तकरण स. 895 दिनांक 28.03.2024 ग्राम मस्तपुर तह0 गोविन्दगढ पेश किये गये है जिनमें प्रार्थीया का नाम श्रुति मामोडिया दर्ज है। नामन्तकरण सं0 895 दिनांक 28.03.2024 ग्राम मस्तपुर तह0 गोविन्दगढ में निरंजन लाल पुत्र मदनलाल के विरासत इंतकाल के अवलोकन उपरांत सुधांशु के तीन वारिसान –तनुजा, निकुंज, श्रुति मामोड़िया दर्ज है, जबकि ग्राम रामबास पटवार हल्का रामबास के ख.नं. 1059, 1060, 1885/1058, 1886/1058 के सुधान्सु पुत्र निरंजन के विरासती इंतकाल सं. 2554 में तनुजा बेवा सुधान्सु , निकुंज पुत्र सुधान्सु(नाबालिग), अनुस्का पुत्री सुधान्सु (नाबालिग) दर्ज है। इस प्रकार अलग–अलग नामांतकरण में भिन्न–भिन्न नाम(श्रुति मामोड़िया, अनुस्का) होना त्रुटिवश प्रतीत होता है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय प्रार्थीया श्रुति एवं गवाह तनुजा का शपथ पत्र मौखिक साक्ष्य में पेश किया है जिनके अनुसार भी प्रार्थीया का नाम श्रुति मामोडिया होना प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त भूमिधारी तहसीलदार गोविन्दगढ ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक 373 दिनांक 22.03.2024 द्वारा भी प्रार्थीया के उक्त कथनो की पुष्टि करते हुए नाम शुद्धि की स्पष्ट अभिशंषा की है।

इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजात एवं शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थीया का वास्तविक नाम श्रुति मामोडिया होना बखूबी साबित होता है। जबकि राजस्व अभिलेख ग्राम रामबास में श्रुति मामोडिया के स्थान पर अनुस्का दर्ज हो रहा है जो एक लिपिकीय त्रुटि है। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रार्थी बालिग साबित हो रही है। नाबालिग का अंकन होना न्यायोचित नही है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रामबास की आराजी ख.न. हाल 1059 रकबा 0.0632 है0, 1060 रकबा 0.3161 है0,1885/1058 रकबा 0.2655 है0, 1886/1058 रकबा 0.5737 है0 में प्रार्थीया का नाम अनुस्का के स्थान पर श्रुति मामोडिया दर्ज किये जाने के साथ ही नाबालिग का अंकन कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। तहसीलदार गोविन्दगढ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार गोविन्दगढ को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/ मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 21/6/2024
(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner